सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 04, शुक्रवार, *शाके* 1948- अप्रेल 24, 2026 Vaisakha 04, Friday, Saka 1948- April 24, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 04, 2025

संख्या प.9(50)राज-1/2025-26727:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व मण्डल अजमेर एवंजिला कलक्टर, चूरू से प्राप्त प्रस्ताव/ अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि **चूरू जिले की तहसील सुजानगढ़** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरे/ढ़ाणी को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार है:-

क्र. सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी KM	मूल ग्राम का शेष क्षेत्रफल (है .में)
			ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है .में)	जन संख्या 2011	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है .में)	जनसंख्या 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	चूरू / सुजानगढ़	गोपालपुरा / सुजान	गोपालपुरा LG CODE 70771	**3736.3267**	**6156**	डूंगर बालाजी Dungar Balaji	**710.0307**	**310**	**3**	**3026.2960**

		गढ़								

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्रामों एवं नव घोषित राजस्व ग्रामों के खसरा जमाबन्क्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु **जिला कलक्टर, चूरू** को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्रामों के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगें।

आज्ञा से,

हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।